

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/वाणि० कर (विट)/ 2008

दिनांक: देहरादून: 27 फरवरी, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संशोधन

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक 109 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात:-

"109. मिठाई, रेवड़ी, गजक एवं शक्कर के उत्पाद जैसे कुलिया, बताशे, खिलौने, इलाइची दाना आदि तथा नमकीन।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं०-136/XXVII(8)/वाणिज्य कर(विट)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु/ एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(सी०एस०सेमवाल)

अपर सचिव, वित्त।

8422

2-3-09

New Typograph/ Newkoo/DT

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated February, 2009 for general information.

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 109, the following entry shall be substituted; namely:-

"109. Sweetmeat, rewari, gajak and sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc. and namkeen."


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.